5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
INDIA TWENTY RUPEES

(124)

स्वमेव पुनर्विलोकन 657-PBR/2017

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

(निग - 1248) - PBR-16

श्री जी.पी. नायक, एड. द्वारा आज दि. 20.4.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 20-4-16

प्रकरण कमांक -पीबीआर/2016 निगरानी

1- राजेश पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

2- अमृत लाल पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

3- रामहेत पुत्र स्व0 सोबरन सिंह

4- श्रीमती रामदुलारी पत्नि स्व0सोबरन सिंह

सभी कृषकगण ग्राम नीम चन्दोहा

तहसील व जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ग्वालियर ----अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 334/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05 अप्रेल, 2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030--2

(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक स्वमेव पुनर्विलोकन 657–पीबीआर / 2017 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	प्रकरण में अनावेदक के अभिभाषक की ओर से इस प्रकरण के स्वमेव पुनर्विलोकन तौर पर प्रचलनशीलता पर आपत्ति ली गई है । उनके द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभिलेख पर ऐसे कोई आधार उपलब्ध नहीं है जो कि प्रकरण को पुनर्विलोकन में लेने के लिये आवश्यक होते हैं । सदस्य के द्वारा प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अंतिम आदेश पारित किया गया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है । उक्त आदेश को किसी पक्ष के द्वारा मण्डल के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, अतः यह स्वमेव पुनर्विलोकन प्रचलन योग्य नहीं है । शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क में कोई नया बिन्दु प्रस्तुत नहीं किया गया है । 2/ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। अनावेदक के अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि मण्डल के समक्ष किसी भी पक्ष के द्वारा मण्डल के आदेश दिनांक 21–4–2016 को चुनौती नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर मण्डल के समक्ष संहिता की धारा 51 में प्रकरण में स्वमेव पुनर्विलोकन में लेने के लिये व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में बताये गये आधार उपलब्ध होने की जो शर्त रखी गई है वह इस प्रकरण में पूरी नहीं होती है । ऐसी स्थिति में यह स्वमेव पुनर्विलोकन प्रचलनशील नहीं होने से समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	